

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/ओ-3/अलेसे-आ/ 571

दिनांक :- 17/10/2025

कार्यालय-आदेश

श्री ओमप्रकाश, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-आ (लिंक नं. 12708) कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2025 एवं स्पष्टीकरण प्रत्युत्तर दिनांक 29.09.2025 के आधार पर दिनांक 03.02.2025 से 11.02.2025 तक (01.02.2025 शनिवार एवं 02.02.2025 रविवार राजकीय अवकाश सहित) कुल 09 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। विभागीय आदेश पत्रांक 5576 दिनांक 12.03.2025 द्वारा श्री ओमप्रकाश की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 12.02.2025 से 27.03.2025 तक को राजस्थान सेवा नियम खण्ड-आ के नियम 7(8)(बी)(आ) के अन्तर्गत नियमित करते हुए कोषालय, बाड़मेर से वेतन आहरण के आदेश जारी किए गए थे। अतः उपर्युक्त आदेश की निरन्तरता में निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 04 में अंकित अवधि का कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय से वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	वेतन आहरण अवधि	विभाग कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1	12708	श्री ओमप्रकाश, सलेअ-आ	दिनांक 01.02.2025 से तक 11.02.2025	कोषालय, बाड़मेर


(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/ओ-3/अलेसे-आ/ 571

दिनांक :- 17/10/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री ओमप्रकाश के उपार्जित अवकाश खाते में 09 दिवस का अवकाश डेबिट करावें।
- कोषाधिकारी, बाड़मेर।
- श्री ओमप्रकाश, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-आ कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीयकार्यालय, उदयपुर।
- उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-आ/आ)